मो0 सोहैल (भा0 प्र0 से0), जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक–28.09.2016 को जिला में कार्यरत अभियोजन पदाधिकारी/लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोक/ विशेष लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक/ सरकारी वकील/ सहायक सरकारी वकील के द्वारा दिवानी न्यायालय एवं अन्य न्यायलयों में राज्य की ओर से किये गए कार्यों एवं हुई प्रगति पर समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. **उपस्थिति** :–

पंजी के अनुसार।

कार्यवाहीः– सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित सरकारी वकीलों/अभियोजन पदा0 एवं पुलिस पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि लम्बे समय से उक्त मामले पर समीक्षा नहीं हो सकी है। जानकारी दी गई कि सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सख्त है। जितनी अधिक संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई जाऐगी, उतना हीं लोगों में प्रशासन एवं न्याय के प्रति बढ़ेगा। साथ हीं कृत कार्यो के प्रति संतोषजनक फलाफल प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी को मिल जुल कर इसके लिए सार्थक प्रसास करना चाहिए।

पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी अभियोजन पक्ष गवाही के लिए तिथि की सूचना संबंधित थानाध्यक्षों को उनके मोबाईल पर देंगे ताकि समय पर गवाही कराया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया था कि अपराधियों को जमानत अर्जी पर जोरदार ढंग से विरोध जताया जाय। परन्तु प्रतिवेदन अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समेकित रूप से इसका अनुपालन नहीं हो पर रहा है। आपस में समन्वय की कमी दर्शित करता है। इसे मिल–जुल कर निदान करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में अपराधियों को दंड दिलाया जा सके।

2. प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सभी अभियोजन पदाधिकारी/सरकारी वकीलों के द्वारा किये गए कार्यो की अलग–अलग समीक्षा प्रारंभ की गई। अद्यतन प्रतिवेदन का ब्यौरा निम्नवत प्रतिवेदित किया गया हैः–

क0	नाम/पदनाम	वर्त्तमान प्रतिवेदन							एक्विटल होने का कारण	अपील खारीज होने का कारण	लंबित रहने का कारण	अभि युक्ति
		ट्रायल केश				किमिनल अपील						
		आवंटित कुल केश	कनभिक्सन	एक्विटल	लंबित	आवंटित किमिनल अपील की सं0	अपील खारीज	लंबित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिला अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा	11172	26	1077	10069	-	-	-	मेल हो जाने के कारण	-	-	
2	श्री इन्द्रकांत चौधरी, लोक अभियोजक	260	10	19	**231**	44	5	**39**	मेल हो जाने के कारण	नीचले अदालत आदेश बरकार	गवाही एवं सुनवाई हेतु।	
3	श्री Q.A.कलाम, ए0जी0 पी0–सह–प्रभारी सरकारी वकील, मधेपुरा।	59	0	0	**59**	0	0	**0**	0	0	तथ्य विवरणी के अभाव में।	
4	श्री चन्द्रशेखर यादव, विशेष लोक अभियोजक (एस0सी0/एस0टी0)	123	3	11	**109**	0	0	**0**	पक्षद्रोही	0	साक्ष्य हेतु।	
5	श्री सुशील कुमार, विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	66	0	7	**59**	0	0	**0**	साक्ष्य के अभाव में।	0	डिनेवो ट्रायल रहने के कारण सभी वाद साक्ष्य पर हैं।	

6	श्री रविन्द्र कुमार मंडल, विशेष लोक अभियोजक (बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम)	3	0	0	**3**	0	0	**0**	0	0	सुनवाई हेतु।	
7	श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, विशेष लोक अभियोजक (श्रम अधिनियम)	37	17	12	**8**	0	0	**0**	साक्ष्य के अभाव में।	0	सुनवाई हेतु।	
8	श्री विवेका कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक (एन0 डी0पी0एस0)	62	2	2	**58**	0	0	**0**	साक्ष्य के अभाव में।	0	सुनवाई हेतु।	
9	श्री विजय कुमार मेहता, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो)	27	3	0	**24**	0	0	**0**	0	0	सुनवाई हेतु।	
10	श्री गजेन्द्र नारायण यादव अपर लोक अभियोजक	40	2	1	**37**	0	0	**0**	0	0	सुनवाई हेतु।	
11	श्री जय नारायण पंडित, अपर लोक अभियोजक	29	1	4	**24**	0	0	**0**	मेल हो जाने के कारण	0	सुनवाई हेतु।	
12	श्री पुरूषोत्तम प्रसाद यादव, अपर लोक अभियोजक	64	8	6	**50**	0	0	**0**	साक्ष्य का अभाव/ सुलह हो जाने के कारण।	0	सुनवाई हेतु।	
13	मो0 रमजान अली, अपर लोक अभियोजक	26	0	0	**26**	0	0	**0**	0	0	सुनवाई हेतु।	
14	श्री रामनन्दन प्रसाद यादव, अपर लोक अभियोजक	50	7	4	**39**	6	0	**5**	मेल हो जाने के कारण ।	0	सुनवाई हेतु।	
15	श्री मो0 नूर आलम, अपर लोक अभियोजक	44	0	0	**44**	0	0	**0**	0	0	सुनवाई हेतु।	
16	श्री शिव नारायण सादा, अपर लोक अभियोजक	45	2	0	**43**	0	0	**0**	0	0	बहस एवं बयान हेतु	
17	श्रीमती सरोजनी कुमारी, अपर लोक अभियोजक	21	2	5	**14**	0	0	**0**	गवाहो के मेल होने जाने के कारण।	0	सुनवाई हेतु।	
18	श्री रमेश कुमार मेहता, अपर लोक अभियोजक	47	0	14	33	0	0	**0**	गवाहों द्वारा मामले का समर्थ नही करने के कारण	0	गवाह/आई0 ओ0 नहीं आने के कारण।	
19	श्री राजाराम शर्मा, अपर लोक अभियोजक	50	3	7	**40**	0	0	**0**	साक्ष्य का अभाव/ सुलह हो जाने के कारण।	0	सुनवाई हेतु।	
20	श्री शशिधर प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक	71	3	2	**66**	13	1	**12**	0	पूर्व आदेश बरकरार	सुनवाई हेतु।	

21	श्री अनिल कुमार मिश्र, अपर लोक अभियोजक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	श्री ब्रजेन्द्र नारायण आर्य, अपर लोक अभियोजक	50	2	2	46	0	0	0	साक्ष्य का अभाव/ गवाही अनुपस्थित होने के कारण	0	बहस एवं बयान हेतु	
23	श्री सदय कुमार, अपर लोक अभियोजक	31	0	2	29	0	0	0	गवाहों द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन नहीं करना।	0	गवाहों का न्यायालय में उपस्थित नही होना।	

बैठक में उपस्थित जिला अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा से जानना चाहा कि अभियोजन के पूर्ण होने का प्रतिशत क्या है, कुल कितने वाद हैं एवं न्यायालय द्वारा कितने वादों में सजा दी गई है।

जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1103 वाद में से 26 वाद में में सजा हुई है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद निस्तारण में सम्यक रूप से अभिरूची नहीं ली जा रही है और न हीं सही तथ्य न्यायालय के समक्ष रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दाखिल वादों की संख्या एवं निष्पादन का तुलना करने पर काफी कम प्रतिशत कनभिक्शन का है, जबकि इसका प्रतिशत 14 से 15 होना चाहिए। निदेश दिया गया कि नियमित रूप से अपने अधीनस्थ सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन की गहनता से समीक्षा कर लें एवं इसमें प्रगति लाऐं।

श्री इन्द्रकान्त चौधरी, लोक अभियोजक, मधेपुरा के द्वारा बताया गया कि ट्रायल केश के अन्तर्गत 10 अपराधियों को दंडित कराया गया है। उसी प्रकार श्री चन्द्रशेखर यादव, विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा ने 03, श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा ने 17, श्री विवेका कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा ने 02, श्री विजय कुमार मेहता, विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा ने 03 एवं श्री गजेन्द्र नारायण यादव, अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा ने 02 अपराधियों को दंडित कराने की बात बतायी।

प्रतिवेदन अवलोकन से जाहिर होता है कि सुलहनामा के आधार पर अधिकांश वाद निष्पादित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने जानना चाहा कि वाद में सुलहनामा की क्या भूमिका है। न्यायालय में गवाहों से ठीक ढंग से पूछताछ की जाती है या मामलों को घुमाया जाता है। सहायक लोक अभियोजकों के द्वारा इसका प्रतिकार करते हैं या ऐसे हीं छोड़ देते हैं।

सहायक लोक अभियोजकों द्वारा बताया गया कि गवाहों के द्वारा जो बयान दिया जाता है, उसी पर क्रॉस एक्जामिन कर सकते हैं। मामलों के निष्पादन में देरी होने पर गवाहों की गवाही टूटने का खतरा बना रहता है। सेशन में हीं ज्यादा कनभिक्शन हो रहा है।

श्री चन्द्रकिशोर यादव, विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह भी बताया गया कि एस0सी0/एस0टी0 के कुल-14 मामलों में से 11 वाद एक्वीटल हुए हैं। 03 मामले लंबित हैं। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि समय पर चार्जसीट दाखिल नहीं होने के कारण वाद होस्टाईल हो जाता है। चार्जसीट सात दिनों में देना है। 07 दिनों में नहीं दिए जाने पर समय के लिए लिखित देना होता है। अब चार्जसीट सीधे Special Court में दाखिल किया जाऐगा।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने इस संबंध में जानकारी दी कि SC/ST के मामलों में नया गाईडलाइन विभाग से प्राप्त हुआ है। उसकी प्रति सभी अभियोजन पक्ष एवं थाना प्रभारियों को अलग से उपलब्ध करवा दी जाऐगी। तद्नुरूप अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

श्री जय नारायण पंडित, अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ट्रायल केश के कुल-29 मामलों में से 01 मामले में कनभिक्शन हुआ है तथा 04 मामलों में एक्विटल हो गया है। अभी 24 मामले लंबित है।